संख्या–1252 / पॉच–9–2014–9(32) / 07

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–9 — लखनऊ : दिनांक 9 अक्टूबर, 2014

विषयः–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, जिला स्वास्थ्य सोसाइटी एवं ब्लाक सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 के स्तर पर वित्तीय वर्ष 2014–15 से लागू होने वाली नवीन बैंकिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / लेखा / 2013–14 / 908 दिनांक 03–06–2014 एवं महानिदेशक, परिवार कल्याण उ0प्र0 के पत्र संख्या–मा0शि0क0 / एन0एच0एम0 / नवीन बैकि0व्य0 / 2014–15 / 5512, दिनांक 06–08–2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या–जी0 27017 / 4 / 2013–एन0आर0एच0एम0(एफ), दिनांक 10.03.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नवीन बैंकिंग व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं, जिसे शासी निकाय, राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा दिनांक 10.05.2014 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किया गया है। नवीन बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति एवं जनपद स्तर पर एक मुख्य खाता एवं इसके अन्तर्गत प्रथम स्तर पर चार कार्यक्रम पूलवाइज़ सब–खाते तथा एन0यू0एच0एम0 खाते को छोड़कर अन्य तीन सब–खातों के अन्तर्गत द्वितीय स्तर पर सम्बन्धित कार्यक्रमों के पन्द्रह सब–खाते रखे जाने अपेक्षित हैं। ब्लाक सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 के स्तर पर एन0एच0एम0 निधियों हेतु एक ही बैंक खाता संचालित किया जाना है। राज्य स्तर पर नान एन0एच0एम0 निधियों हेतु पृथक खाते खोले जाने के निर्देश हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, जिला स्वास्थ्य समिति एवं ब्लॉक सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 स्तर हेतु बैंक खातों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:–

राज्य स्वास्थ्य समिति			जिला स्वास्थ्य समिति			ब्लॉक सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0
मुख्य खाता	**प्रथम स्तर पर पूलवाइज़ सब–खाते**	**द्वितीय स्तर पर कार्यक्रमवार सब–खाते**	**मुख्य खाता**	**प्रथम स्तर पर पूलवाइज़ सब–खाते**	**द्वितीय स्तर पर कार्यक्रमवार सब–खाते**	
एस0एच0एस0 ग्रुप बैंक एकाउण्ट	एन.आर.एच.एम.–आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल	आर.सी.एच0	डी0एच0एस0 ग्रुप बैंक एकाउण्ट	एन.आर.एच.एम. आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल	आर.सी.एच0	मात्र एक बैंक खाता
		एम.एफ.पी.			एम.एफ.पी.	
		आर.आई.			आर.आई.	
		पी.पी.आई.			पी.पी.आई.	
		एन.आई.डी.डी.सी.पी.			एन.आई.डी.डी.सी.पी.	
	एन.यू.एच.एम. फ्लैक्सीपूल			एन.यू.एच.एम. फ्लैक्सीपूल		
	फ्लैक्सीपूल फार कम्यूकेबिल डिसीजेस	एन.बी.वी.डी.सी.पी.		फ्लैक्सीपूल फार कम्यूकेबिल डिसीजेस	एन.बी.वी.डी.सी.पी.	
		आर.एन.टी.सी.पी.			आर.एन.टी.सी.पी.	
		एन.एल.ई.पी.			एन.एल.ई.पी.	
		आई.डी.एस.पी.			आई.डी.एस.पी.	
	फ्लैक्सीपूल	एन.टी.बी.सी.पी.		फ्लैक्सीपूल	एन.टी.बी.सी.पी.	

	फार एन.सी.डी.	एन.एम.एच.पी.		फार एन.सी.डी.	एन.एम.एच.पी.	
		एन.पी.सी.डी.सी. एस.			एन.पी.सी.डी.सी. एस.	
		एन.पी.एच.सी.ई.			एन.पी.एच.सी.ई.	
		एन.पी.पी.सी.डी.			एन.पी.पी.सी.डी.	
		एन.आई.–एन. सी.डी.			एन.आई.–एन.सी. डी.	

नोटः– 1. भारत सरकार से राज्य स्वास्थ्य समिति के मुख्य खाते में निधियाँ प्रेषित की जायेंगी। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा मुख्य खाते से धनराशियाँ प्रथम एवं द्वितीय स्तर के सम्बन्धित सब–खातों में स्थानान्तरित की जायेंगी। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा द्वितीय स्तर के सब–खातों से धनराशियाँ जिला स्वास्थ्य समिति के मुख्य खाते में स्थानान्तरित की जायेंगी। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा यही प्रक्रिया दोहराते हुए द्वितीय स्तर के कार्यक्रमवार सब–खातों से धनराशि ब्लॉक के एक मात्र बैंक खाते में प्रेषित की जायेगी।

2. उक्त के अतिरिक्त राज्य स्वास्थ्य समिति स्तर पर नान एन0एच0एम0 निधियों हेतु पृथक खाते खोले जायेंगे।

2– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बैंकिंग कार्यो हेतु शासनादेश संख्या–1120/5–9–07–9(32)/2007 दिनांक 29.03.2007 में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन में राज्य स्वास्थ्य समिति, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 में निम्नलिखित बैंक बचत खाते भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में खोले गये थे। इन खातों के माध्यम से एन0एच0एम0 के अन्तर्गत प्राप्त निधियों को राज्य स्वास्थ्य समिति से जिला स्वास्थ्य समितियों एवं जिला स्वास्थ्य समितियों से सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 स्तर पर स्थानान्तरित किया जा रहा है :–

राज्य स्वास्थ्य समिति पर खुले हुए बैंक खाते	**जिला स्वास्थ्य समितियों पर खुले हुए बैंक खाते**	**ब्लॉक सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 में खुले हुए बैंक खाते**
स्टेट हेल्थ सोसाइटी	डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी	
आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल	आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल	आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल
एडिसनैलटीज अण्डर एन.आर.एच.एम.	एडिसनैलटीज अण्डर एन.आर. एच.एम.	एडिसनैलटीज अण्डर एन.आर.एच. एम.
इम्यूनाईजेशन (आर0आई0)	इम्यूनाईजेशन (आर0आई0)	इम्यूनाईजेशन (आर0आई0)
इन्टेन्सीफाइड पल्स पोलिया इम्यूनाईजेशन (आई.पी.पी.आई.)	इन्टेन्सीफाइड पल्स पोलिया इम्यूनाईजेशन (आई.पी.पी.आई.)	इन्टेन्सीफाइड पल्स पोलिया इम्यूनाईजेशन (आई.पी.पी.आई.)
रिवाईज्ड नेशनल टीबी कन्ट्रोल प्रोग्राम (आर.एन.टी.सी.पी.)	रिवाईज्ड नेशनल टीबी कन्ट्रोल प्रोग्राम (आर.एन.टी.सी.पी.)	रिवाईज्ड नेशनल टीबी कन्ट्रोल प्रोग्राम (आर.एन.टी.सी.पी.)
नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कन्ट्रोल प्रोग्राम (एन.वी.बी.डी.सी.पी.)	नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कन्ट्रोल प्रोग्राम(एन.वी.बी.डी.सी.पी.)	नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कन्ट्रोल प्रोग्राम (एन.वी.बी.डी.सी.पी.)
नेशनल ब्लाइन्डनेस कन्ट्रोल प्रोग्राम (एन.बी.सी.पी.)	नेशनल ब्लाइन्डनेस कन्ट्रोल प्रोग्राम (एन.बी.सी.पी.)	नेशनल ब्लाइन्डनेस कन्ट्रोल प्रोग्राम (एन.बी.सी.पी.)
आयोडीन डिफीसिएन्सी डिसआर्डर प्रोग्राम (आई.डी.डी.पी.)	आयोडीन डिफीसिएन्सी डिसआर्डर प्रोग्राम (आई.डी.डी.पी.)	आयोडीन डिफीसिएन्सी डिसआर्डर प्रोग्राम (आई.डी.डी.पी.)
नेशनल लैप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम (एन.एल.ई.पी.)	नेशनल लैप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम (एन.एल.ई.पी.)	नेशनल लैप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम (एन.एल.ई.पी.)
आई.डी.एस.पी.	आई.डी.एस.पी.	आई.डी.एस.पी.
नेशनल डीफनेस कन्ट्रोल प्रोग्राम (एन.डी.सी.पी.)	नेशनल मेन्टल हेल्थ प्रोग्राम (लखनऊ एवं आगरा जनपद में)	
नेशनल मेन्टल हेल्थ प्रोग्राम		
नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर आफ द एल्डर्ली		
नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज कार्डियो एण्ड स्ट्रोक		

3– भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.03.2014 में दी गई नवीन बैंकिंग व्यवस्था को वित्तीय वर्ष 2014–15 से लागू करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, जिला स्वास्थ्य समिति एवं ब्लाक सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 वर्तमान में संचालित बचत खातों को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नवीन फ्लैक्सीपूल व्यवस्था के अनुरूप रि–अरेन्ज एवं रि–नेम करते हुए निम्नलिखित अतिरिक्त बैंक बचत खाते खोल कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित नवीन बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप खातों को लिंक किया जायेगा :–

राज्य स्वास्थ्य समिति में खोले जाने वाले अतिरिक्त बैंक बचत खाते	**जिला स्वास्थ्य समितियों में खोले जाने वाले अतिरिक्त बैंक बचत खाते**	**ब्लॉक सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 हेतु वांछित बैंक खाते के सम्बन्ध में**
एन.आर.एच.एम.–आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल	एन.आर.एच.एम.–आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल	ब्लॉक स्तर पर खुले आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के अतिरिक्त समस्त बैंक खातों को बन्दकर इनकी धनराशियाँ मात्र एक आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल बैंक खाते में स्थानान्तरित की जायेगीं जिसका नाम परिवर्तित कर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एन0एच0एम0 एकाउण्ट रखा जायेगा।
एन.यू.एच.एम.–फ्लैक्सीपूल	एन.यू.एच.एम.–फ्लैक्सीपूल	
फ्लैक्सीपूल फार कम्न्यूकेबल डिसीजेस	फ्लैक्सीपूल फार कम्न्यूकेबल डिसीजेस	
फ्लैक्सीपूल फार एन.सी.डी.	फ्लैक्सीपूल फार एन.सी.डी.	
एन.आई.–एन.सी.डी.	एन.आई.–एन.सी.डी.	
	नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल ऑफ डीफनेस (एन.पी.पी.सी.डी.)	
	नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर आफ द एल्डर्ली (एन.पी.एच.सी.ई.)	
	नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज कार्डियो एण्ड स्ट्रोक(एन.पी.सी.डी.सी.एस.)	

निर्देश 1. नेशनल ब्लाइंडनेस कन्ट्रोल प्रोग्राम (एन0बी0सी0पी0) का बैंक खाता खुला हुआ है, जिसका नाम भारत सरकार द्वारा परिवर्तित कर नेशनल ट्रैकोमा एण्ड ब्लाइंडनेस कन्ट्रोल प्रोग्राम (एन0टी0पी0सी0बी0) कर दिया गया है। राज्य एवं जनपद स्तर पर पूर्व में खुले इस खाते का नाम परिवर्तित कर नेशनल ट्रैकोमा एण्ड ब्लाइंडनेस कन्ट्रोल प्रोग्राम (एन0टी0पी0सी0बी0) रखा जायेगा।

2. राज्य एवं जिला स्वास्थ्य समिति स्तर पर खुले राज्य / जिला स्वास्थ्य समितियों के नाम के बैंक खातों को मुख्य ग्रुप एकाउण्ट के रुप में संचालित किया जायेगा एवं इस खाते की लिंकिंग बैंक द्वारा प्रथम एवं द्वितीय स्तर के सम्बन्धित सब–खातों से की जायेगी। इसके लिए नया खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है।

3. राज्य स्वास्थ्य समिति स्तर पर नान एन0एच0एम0 निधियों हेतु पृथक बैंक खाते आवश्यकतानुसार कार्यकारी समिति के अनुमोदन से खोले जा सकते हैं।

4– राज्य स्वास्थ्य समिति, जिला स्वास्थ्य समिति एवं ब्लॉक सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 स्तर पर नवीन बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत बैंक बचत खातों के संचालन की व्यवस्था निम्नानुसार की जाती है:–

राज्य स्वास्थ्य समिति बैंक के बचत खातों के संचालन की व्यवस्था :–

मुख्य खाता	**प्रथम स्तर पर पूलवाइज़ सब–खाते**	**द्वितीय स्तर पर कार्यक्रमवार सब–खाते**
एस0एच0एस0 ग्रुप बैंक एकाउण्ट	एन.आर.एच.एम.–आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल	आर.सी.एच0
		एम.एफ.पी.
		आर.आई.
		पी.पी.आई.
		एन.आई.डी.डी.सी.पी.
	एन.यू.एच.एम. फ्लैक्सीपूल	

	फ्लैक्सीपूल फार कम्यूकेबिल डिसीजेस	एन.बी.वी.डी.सी.पी.
		आर.एन.टी.सी.पी.
		एन.एल.ई.पी.
		आई.डी.एस.पी.
	फ्लैक्सीपूल फार एन.सी.डी.	एन.टी.बी.सी.पी.
		एन.एम.एच.पी.
		एन.पी.सी.डी.सी.एस.
		एन.पी.एच.सी.ई.
		एन.पी.पी.सी.डी.
		एन.आई.–एन.सी.डी.
राज्य स्वास्थ्य समिति स्तर पर मुख्य खाता, प्रथम स्तर के पूलवाइज सब–खातों एंव द्वितीय स्तर पर कार्यक्रमवार सब–खातों का संचालन मिशन निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राज्य स्वास्थ्य समिति अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी एवं वित्त नियंन्त्रक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।		

जिला स्वास्थ्य समिति के बचत खातों के संचालन की व्यवस्था :–

मुख्य खाता	प्रथम स्तर पर पूलवाइज़ सब–खाते	द्वितीय स्तर पर कार्यक्रमवार सब–खाते
डी0एच0एस0 ग्रुप बैंक एकाउण्ट	एन.आर.एच.एम. आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल	आर.सी.एच0
		एम.एफ.पी.
		आर.आई.
		पी.पी.आई.
		एन.आई.डी.डी.सी.पी.
	एन.यू. एच.एम. फ्लैक्सीपूल	
	फ्लैक्सीपूल फार कम्यूकेबिल डिसीजेस	एन.बी.वी.डी.सी.पी.
		आर.एन.टी.सी.पी.
		एन.एल.ई.पी.
		आई.डी.एस.पी.
	फ्लैक्सीपूल फार एन.सी.डी.	एन.टी.बी.सी.पी.
		एन.एम.एच.पी.
		एन.पी.सी.डी.सी.एस.
		एन.पी.एच.सी.ई.
		एन.पी.पी.सी.डी.
		एन.आई.–एन.सी.डी.

जिला स्वास्थ्य समिति स्तर पर मुख्य खाता, प्रथम स्तर के पूलवाइज सब–खातों एंव द्वितीय स्तर पर कार्यक्रमवार सब–खातों का संचालन निम्नानुसार किया जायेगा:–

1. जिला स्वास्थ्य समिति के मुख्य खाता, प्रथम स्तर के पूलवाइज सब–खातों एवं द्वितीय स्तर के आर0सी0एच0, एम0एफ0पी0, आर0आई0 एवं पी0पी0आई0 सब खातों का संचालन मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रथम संयुक्त हस्ताक्षरी) एवं पूर्णकालिक वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी (द्वितीय हस्ताक्षरी) के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। जिन जनपदों में पूर्णकालिक वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी की तैनाती नहीं है, वहाँ पर इनकी तैनाती होने तक एन0एच0एम0 का कार्य देख रहे सम्बन्धित कार्यक्रम नोडल अधिकारी (जो उप–मुख्य चिकित्साधिकारी ग्रेड से कम न हों) द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी होंगे।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के द्वितीय स्तर के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सब–खातों यथा एन0आई0डी0डी0सी0पी0, एन0बी0वी0डी0सी0पी0, आर0एन0टी0सी0पी0, एन0एल0ई0पी0, आई0डी0एस0पी0, एन0टी0बी0सी0पी0, एन0एम0एच0पी0, एन0पी0सी0डी0सी0एस0, एन0पी0एच0सी0ई0, एन0पी0पी0सी0डी0 एवं एन0आई0–एन0सी0डी0 का संचालन मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रथम हस्ताक्षरी) एवं सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी, (जो उप–मुख्य चिकित्साधिकारी ग्रेड से कम न हों) (द्वितीय हस्ताक्षरी) के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

ब्लॉक सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 के बचत खातों के संचालन की व्यवस्था :–

ब्लॉक सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 स्तर पर मात्र एक बैंक खाता 'एन0एच0एम0' नाम से संचालित किया जायेगा, जिसका संचालन अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी (प्रथम संयुक्त हस्ताक्षरी) के साथ मेडिकल आफिसर (द्वितीय)/ सहायक शोध अधिकारी /स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में से कोई एक जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी के रुप में अधिकृत किया गया हो, के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

5– उपर्युक्त बैंकिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्व में राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर पर दिनांक 01.04.2007 से लागू बैंकिंग व्यवस्था सम्बन्धी शासनादेश संख्या–1120/5–9–07–9(32)/2007, दिनांक 29.03.2007 तत्कालिक प्रभाव से अतिक्रमित किया जाता है।

कृपया उपरोक्त व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1252(1)/5–9–14–9(32)/07, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. एडीशनल सचिव एवं मिशन निदेशक (एन0एच0एम0), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव–प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, लखनऊ, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
5. अपर मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0/एन0यू0एच0एम0, लखनऊ।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
8. वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
9. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
10. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
11. मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ।
12. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(यतीन्द्र मोहन)
संयुक्त सचिव।